रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2008/श्रावण 10, 1930

No. 118] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2008/SRAVANA 10, 1930

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

सं. भा.आ.प.-34(41)-मेडिकल/2008/18811.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियम, 1999 में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भण :—

(i) इन विनियमों को मेडिकल कॉलेज की स्थापना (संशोधन) विनियम, 2008 कहा जाए ।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियम, 1999 में विनियम 4 'आवेदन शुल्क' में '3.5 लाख रुपए का शुल्क' के पश्चात् तीसरी पंक्ति में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"सरकारी कॉलेजों (केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन) के लिए और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के लिए 7.00 लाख रुपए" ।

ले. क. (सेवानिवृत्त) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./100/08]

पाद टिप्पणी.—प्रधान विनियम अर्थात् "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियम, 1999" को दिनांक 30 जुलाई की अधिसूचना सं. 34(41)/98-मेडिकल के अंतर्गत भारत के राजपत्र दिनांक 28-8-1999 के भाग-III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

No. MCI-34(41)-Med./2008/18811.—In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the Establishment of Medical College Regulations, 1999, namely :—

1. Short title and commencement :—

(i) These regulations may be called the Establishment of Medical College (Amendment) Regulations, 2008.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Establishment of Medical College Regulations, 1999, in regulation 4, 'Application Fee', in the third line, after "fee of Rs. 3.5 lakhs" the following shall be added :

"for the Government Colleges (under Central Government and State Governments) and Rs. 7.00 lakhs for private sector medical colleges/institutions".

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./100/08]

Foot Note:—The Principal regulations namely "Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India dated 28-8-1999 *vide* MCI notification No. 34(41)/98-Med., dated the 30th July, 1999.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

सं. भा.आ.प.-34(41)-मेडिकल/2008/18812.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अध्ययन का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) खोलना एवं अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2000 में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भण :—

(i) इन विनियमों को किसी मेडिकल कॉलेज या संस्थान में अध्ययन का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना (संशोधन) विनियम, 2008 कहा जाए।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. किसी मेडिकल कॉलेज/संस्थान में अध्ययन का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) खोलना एवं अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2000 में भाग-I में "अध्ययन को कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण) सहित के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए योजना" विनियम II में "आवेदनपत्र और आवेदन शुल्क जमा करना" में "दो लाख रुपए का आवेदन शुल्क" के पश्चात् चौथी पंक्ति में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

"सरकारी कॉलेजों (केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन) के लिए और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के लिए 4.00 लाख रुपए"।

ले. क. (सेवानिवृत्त) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड़, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./100/08]

पाद टिप्पणी.—अध्ययन का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) खोलना और अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2000 को भा.आ.प. की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना सं 34(41)/2000-मेडिकल के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

No. MCI-34(41)-Med/2008/18812.—In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, to further amend, "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) Regulations, 2000", namely :—

1. Short title and commencement :—

(i) These regulations may be called "The Opening of New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) (Amendment) Regulations, 2008 in a Medical College or Institution.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) Regulations, 2000", in Part-I "Scheme for permission of the Central Government for Opening a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) in a Medical College or Institution", in Regulation 2 '**SUBMISSION OF APPLICATION AND APPLICATION FEE,** in fourth line after "application fee of Rs. Two Lakh" the following shall be added :

"for the Government Colleges (under Central Government and State Governments) and Rs. 4.00 lakhs for private sector medical colleges/institutions".

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./100/08]

Foot Note :—The Principal regulations, namely "The Opening of New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any course of Study or Training (including Post-Graduate Course of Study or Training) Regulations, 2000, were published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India on 7th October, 2000 *vide* MCI Notification No. 34(41)/2000-Med., dated the 14th August, 2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

सं. भा.आ.प.-34(41)-मेडिकल/2008/18826.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अध्ययन का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) खोलना एवं अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2000 में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—

(i) इन विनियमों को मौजूदा मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना (संशोधन) विनियम, 2008 कहा जाए।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. "अध्ययन का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) खोलना और अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2000" में "मौजूदा मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए योजना" भाग II में विनियम 2 में "दो लाख रुपये का आवेदन शुल्क" के पश्चात् चौथी पंक्ति में आवेदन पत्र/आवेदन शुल्क जमा करने में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

"सरकारी कॉलेजों (केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन) के लिए और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के लिए 4.00 लाख रुपये" ।

ले. क. (सेवानिवृत्त) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./100/08]

पाद टिप्पणी :—अध्ययन का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) खोलना और अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2000 को भा.आ.प. की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना सं. 34(41)/2000-मेडिकल के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

No. MCI-34(41)-Med./2008/18826.—In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, to further amend, "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) Regulations, 2000", namely :—

1. Short title and commencement :—

(i) These regulations may be called to increase the Admission Capacity in any course of study or training (including Post-graduate Course of Study or Training) in the existing Medical Colleges/Institutions (Amendment) Regulations, 2008.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) Regulations, 2000", in Part-II "Scheme for permission of the Central Government to Increase the Admission Capacity in any course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) in the existing Medical Colleges/Institution", in Regulation 2 'Submission of Application/Application Fee, in fourth line after "application fee of rupees Two Lakh" the following shall be added :

"for the Government Colleges (under Central Government and State Governments) and Rs. 4.00 lakhs for private sector medical colleges/institutions".

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./100/08]

Foot Note :—The Principal Regulations, namely "The Opening of New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) Regulations, 2000, were published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India on 7th October, 2000 *vide* MCI Notification No. 34(41)/2000-Med., dated the 14th August, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.